लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1207
11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र

1207. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य और जिलेवार कितने नए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित किए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु सहित राज्य और जिलेवार न्यूनतम तरल बहिस्राव से शून्य तरल बहिस्राव तक उन्नत किए गए सीईटीपी की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में चौथा सबसे बड़ा घरेलू वस्त्र निर्यातक उद्योग को सहायता देने के लिए आईपीडीएस योजना के अंतर्गत करूर में सीईटीपी स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए कोई अध्ययन कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने और प्रसंस्करण क्लस्टरों/प्रसंस्करण पार्कों में नए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी)/ सीईटीपी के उन्नयन का समर्थन करने के लिए, सरकार 2013 से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सुविधा प्रदान करना है। यह योजना मौजूदा वस्त्र क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के लिए भी लागू है। यह योजना दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वयन में थी। अब, यह योजना केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 परियोजनाओं में एमएलडी से जेडएलडी में उन्नयन शामिल है।

आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**कुल स्वीकृत परियोजना लागत**	**भारत सरकार का स्वीकृत हिस्सा**	**भारत सरकार का कुल जारी हिस्सा**	**वर्तमान स्थिति**
1	बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	131.89	65.89	49.46	कार्यान्वयनाधीन
2	जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	38.50	19.25	14.43	कार्यान्वयनाधीन
3	सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, राजस्थान	159.00	75.00	37.5	कार्यान्वयनाधीन

4	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क, राजस्थान	129.42	64.71	6.30	कार्यान्वयनाधीन
5	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, राजस्थान	100.00	50.00	37.50	पूरा होने की स्थिति में
6	गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क गुजरात	146.39	73.195	54.84	कार्यान्वयनाधीन
कुल		**705.2**	**348.045**	**200.03**	

(ङ) और (च): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), यूबीए-जर्मनी (जर्मन पर्यावरण संघीय एजेंसी) और जीआईजेड के बीच वर्ष 2019 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक (बीएटी) संदर्भ (बीआरईएफ) दस्तावेज/व्यापक उद्योग दस्तावेज तैयार करने के लिए एक संयुक्त डीसेलरेशन ऑफ इंटेन्ट (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि पर्यावरण अनुपालन और समग्र रूप से पर्यावरण पर प्रभाव में सुधार किया जा सके।

इस संबंध में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारतीय वस्त्र क्षेत्र के लिए अनुकूलित बीआरईएफ/सीओआईएनडीएस दस्तावेज़ तैयार करने के लिए "भारत में वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक संदर्भ / व्यापक उद्योग दस्तावेज़ (बीआरईएफ/सीओआईएनडीएस दस्तावेज़) की तैयारी" शीर्षक से एक अध्ययन परियोजना शुरू की है। बीएटी संदर्भ/सीओआईएनडीएस दस्तावेज़ के विकास की प्रक्रिया में हितधारकों के साथ सूचना संग्रह और आदान-प्रदान और पहचाने गए उद्योगों में बीएटी की पहचान के लिए गहन अध्ययन शामिल हैं।

*****